

बैंकों के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा

2.1 समग्र टर्नओवर कवरस


बैंकों द्वारा निर्यात वित्त पोषण की योजना को 1967 में प्रारम्भ किया गया था। बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता निर्यातकों को दो चरणों में मुहैया कराई गई थी। पहला चरण कच्ची सामग्री की खरीद, संसाधन, पैकिंग और निर्यात के लिए माल के भांडागारण के लिए कार्यशील पूँजी हेतु पैकिंग क्रेडिट (पीसी) के रूप में था। दूसरा चरण नामतः पश्च लदान (पीएस) वित्त पीसी अग्रिमों के चुकाने के पश्चात् शिपिंग दस्तावेजों के प्रति बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया था।


बैंकों द्वारा पीसी और पीएस के लिए निर्यातकों को दिए गए इन अग्रिमों से चूक का जोखिम था और ऐसी चूक से बैंकों की गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) में वृद्धि होगी। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित समग्र टर्नओवर कवरस ने निर्यातक जिन्होंने पीसी अथवा पीएस क्रेडिट का लाभ उठाया था द्वारा चूक के प्रति बैंकों को सुरक्षित रखा। बैंकों को कवरस की निबंधन एवं शर्तों पर आधारित बकाया अग्रिमों के 50 से 95 प्रतिशत तक की विभिन्न दरों पर प्रतिपूर्ति करनी थी।

बैंकों को जारी किए गए समग्र टर्नओवर पीसी/पीएस (डब्ल्यूटीपीसी/डब्ल्यूटीपीएस) कवरस में अपने आप निर्यातकों के चूक के पिछले इतिहास को छोड़कर उनको दिए गए सभी अग्रिमों को कवर किया गया। दूसरे शब्दों में बैंकों ने सभी निर्यातक/लेखाधारक जो अपना ऋण अदा करने में नियमित थे को दिए गए अग्रिमों के लिए बीमा कवर प्राप्त किया। ऐसे निर्यातकों द्वारा किसी नई चूक के मामले में बैंकों ने कम्पनी से पैसा वापस प्राप्त किया। वास्तव में इन चूकों से बैंकों के एनपीए में वृद्धि नहीं हुई।

पूँजी पर्याप्तता ढाँचा (बीएएसईएल आवश्यकता) के अन्तर्गत बैंकों को उनकी जोखिम भारित परिसम्पत्तियों पर 9 प्रतिशत की न्यूनतम पूँजी उपलब्ध करानी थी। तथापि, पीसी और पीएस अग्रिम जिनके प्रति बीमा कवर कम्पनी द्वारा बैंकों को दिया गया था को 80 प्रतिशत की सीमा तक जोखिम रहित के रूप में माना गया था। इस प्रकार, बैंकों को बकाया प्राप्यों के शेष 20 प्रतिशत के लिए पूँजी आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित था जो मात्र 1.80 प्रतिशत तक बना।

बैंकों को मुहैया कराए गए डब्ल्यूटीपीसी और डब्ल्यूटीपीएस बीमा कवरस का प्रक्रिया फ्लो निम्नलिखित चार्ट में दिखाया गया है:





2.2 समग्र टर्नओवर कवरस का निष्पादन

कम्पनी का मुख्य ईसीआईबी कारोबार डब्ल्यूटीपीसी और डब्ल्यूटीपीएस से आया चूँकि वे एक साथ 31 मार्च 2011 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कुल ईसीआईबी प्रीमियम का 75-78 प्रतिशत और कुल ईसीआईबी दावों का 64-96 प्रतिशत बनते हैं जैसाकि नीचे दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

उत्पाद		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	जोड़
डब्ल्यूटीपीसी	प्रीमियम	230.14	250.48	263.76	268.69	293.27	1306.34
	दावे	154.17	176.08	141.48	126.84	126.79	725.36
	वसूली	116.07	93.45	105.57	80.11	74.2	469.4
	निवल दावे	38.1	82.63	35.91	46.73	52.59	255.96
डब्ल्यूटीपीएस	प्रीमियम	76.01	76.48	87.94	96.83	106.3	443.56
	दावे	81.19	92.93	49.72	209.88	302.73	736.45
	वसूली	29.15	35.01	32.83	25.51	26.14	148.64
	निवल दावे	52.04	57.92	16.89	184.37	276.59	587.81
डब्ल्यूटीपीसी + डब्ल्यूटीपीएस का जोड़	प्रीमियम	306.15	326.96	351.7	365.52	399.57	1749.9
	दावे	235.36	269.01	191.2	336.72	429.52	1461.81
	वसूली	145.22	128.46	138.4	105.62	100.34	618.04
	निवल दावे	90.14	140.55	52.8	231.1	329.18	843.77
ईसीआईबी अल्पकालिक कवरस	प्रीमियम	396.69	429.76	464.18	486.78	510.62	2288.03
	दावे	245.15	285.86	234.19	371.69	459.63	1596.52
	वसूली	151.71	133.88	151.29	110.87	110.65	658.40
	निवल दावे	93.44	151.98	82.9	260.82	348.98	938.12
समग्र टर्नओवर कवरस बनाम ईसीआईबी अल्पकालिक कवरस (प्रतिशत में)	प्रीमियम	77.18	76.08	75.77	75.09	78.25	76.48
	निवल दावे	96.47	92.48	63.69	88.61	94.33	89.94

उच्च निवल दावों ने कम्पनी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत प्रीमियम निवल दावों की अपेक्षा अधिक था और इसलिए डब्ल्यूटीपीसी ने अधिशेष का सृजन किया। इसका तात्पर्य होगा कि कम्पनी ने बैंकों द्वारा कवरस बीमाकृत पूर्व-लदान अग्रिमों से लाभ प्राप्त किया। डब्ल्यूटीपीएस ने मात्र 2006-07 से 2008-09 के दौरान अधिशेष का सृजन किया। तथापि, डब्ल्यूटीपीएस जिसमें बैंकों द्वारा पश्च लदान अग्रिम कवर होते हैं के अन्तर्गत दावों में अचानक प्रवाह आने के कारण यह 2009-10 और 2010-11 के दौरान हानि उठाने वाला हो गया। इसी प्रकार, जबकि डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत वसूली⁹ दावों का 64.71 प्रतिशत थी तब यह डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत दावों का मात्र 20.18 प्रतिशत था।

2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान इन दो उत्पादों की विस्तृत संवीक्षा ने दर्शाया कि कम्पनी ने 36 बैंको को 108 डब्ल्यूटीपीसी कवरस और 31 बैंकों को 92 डब्ल्यूटीपीएस कवरस जारी किए (पाँच बैंको ने डब्ल्यूटीपीएस कवरस का लाभ नहीं उठाया)। डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत 34¹⁰ बैंकों को जारी किए गए 102 कवरस और डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत 29 बैंकों को जारी किए गए 86 कवरस की समीक्षा ने दर्शाया कि उपर्युक्त अवधि के दौरान डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत ₹ 665.78 करोड़ का लाभ और डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत ₹ 191.72 करोड़ की हानि हुई थी। तीन वर्ष की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा बताई गई हानियों के विश्लेषण ने इंगित किया कि बहुत से दावों का परिहार किया जा सकता था यदि बैंकों ने उचित परिश्रमिता का पालन किया होता और उनकी संस्वीकृत स्थितियों के अनुपालनों को लागू किया होता। कम्पनी ने इसके कवरस में समर्थ प्रावधानों के माध्यम से बैंकों द्वारा विवेक का अनुपालन नहीं किया और इसके वित्तीय पर उनके प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद भी दावों का भुगतान किया गया जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2012) में बताया कि:

- ऐतिहासिक रूप से, दावा प्रभाव हमेशा डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत था इसलिए डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत स्थिति वैश्विक मन्दी के कारण 2008 से आगे प्रतिकूल थी। विकसित देशों से क्रेताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। दो वर्षों (2009-10 और 2010-11) के लिए डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत हानि वैश्विक संकट के कारण मात्र अस्थायी विपथन थी और जिसका योजना में किसी त्रुटि के लिए सम्बद्ध नहीं हो सकता।

⁹ वसूली का तात्पर्य होगा कि क्रेताओं अथवा अन्य समर्थकों से बीमा दावा के रूप में अदा की गई वसूली की राशि।

¹⁰ बीमांकन पर डॉटा जो एक बैंक के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे जबकि अन्य बैंक अर्थात एसबीआई ने मात्र क्षेत्रीय कवर का लाभ उठाया।

- हीरा क्षेत्र, सीमित अरक्षितता पर प्रतिबन्ध और लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रतिशता कवरस के अन्तर्गत अधिकांश अरक्षितता के मामलों में कम्पनी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बैंकों की आवश्यकता जैसे डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे और
- दावों को स्वीकार नहीं किया गया था जहाँ बैंकों ने अपनी निजी संस्वीकृत निबंधन एवं शर्तों का पर्याप्त रूप से उल्लंघन किया था।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के विरोध में था:

- 2002-03 से 2010-11 तक की नौ वर्षों की अवधि के दौरान प्रीमियम पर पर डॉटा और प्रदत्त दावों के विश्लेषण ने दर्शाया कि डब्ल्यूटीपीसी ने हमेशा उच्च वसूली निष्पादन वाली अधिशेष (समग्र ₹ 1369 करोड़) का सृजन किया था जबकि डब्ल्यूटीपीएस ने नौ वर्षों में से (समग्र निवल हानि ₹ 192 करोड़) पाँच में हानियाँ कायम रखी थीं। इस प्रकार, डब्ल्यूटीपीएस के संबंध में जोखिम डब्ल्यूटीपीसी की तुलना में उच्चतर था और इसलिए सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है।
- हानियों को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा किए गए उपायों से भी 2011-12 में वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत 2011-12 में भुगतान किए गए ₹ 177 करोड़ के दावों में से रत्न एवं ज्वैलरी में ₹ 163 करोड़ (92 प्रतिशत) को लेखा में लिया गया। दूसरी और ₹ 50 करोड़ 2012-13 में भुगतान के लिए बकाया थे।

2.2.1 डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत प्रतिकूल दावा अनुभव का नोन-लोडिंग

डब्ल्यूटीपीसी कवरेज के अन्तर्गत, 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान दावा प्रीमियम अनुपात (सीपीआर)¹¹ ₹ 26.62 करोड़ की हानि सहित 34 बैंकों में से 2 के लिए 200 प्रतिशत से अधिक था। इसके विपरीत डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत सीपीआर ₹ 309.27 करोड़ की हानि सहित 29 बैंकों में से 13 के संबंध में 200 प्रतिशत से अधिक था जैसाकि विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

¹¹ प्राप्त हुए प्रीमियम के लिए प्रदत्त दावा की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2008-09				2009-10				2010-11				कुल हानि
		प्रीमियम	निवल दावे ¹²	लाभ/हानि (-)	सीपी आर (प्रति शत में)	प्रीमियम	निवल दावे ¹²	लाभ/हानि (-)	सीपी आर (प्रति शत में)	प्रीमियम	निवल दावे ¹²	लाभ/हानि (-)	सीपी आर (प्रति शत में)	
1	एक्सिस बैंक	4.07	0	4.07	0	4.01	4.33	-0.32	108	4.1	61.47	-57.37	1499	-53.62
2	कर्नाटक बैंक	3.32	3.63	-0.31	109	2.91	34.3	-31.4	1179	3.57	25.39	-21.82	712	-53.53
3	आईएनजी वैश्य बैंक	3.72	0	3.72	0	2.7	-0.16	2.86	-6	2.54	33.3	-30.76	1309	-24.18
4	देना बैंक	3.49	3.77	-0.28	108	3.76	45.2	-41.42	1202	4.04	10.44	-6.4	259	-48.1
5	सारस्वत को-ओप बैंक	2.86	0.11	2.75	4	1.61	9.25	-7.64	575	1.1	11.96	-10.86	1089	-15.75
6	बैंक ऑफ इण्डिया	7.44	-0.4	7.8	-5	5.96	48.1	-42.13	807	8	4.33	3.67	54	-30.66
7	ओरियन्टल बैंक आफ कोमर्स	4.81	2.41	2.4	50	5.23	7.07	-1.84	135	5.58	21.77	-16.19	390	-15.63
8	यूको बैंक	3.98	-1.3	5.27	-32	3.81	-0.26	4.07	-7	3.83	27.04	-23.21	706	-13.87
9	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	10.7	11.7	-0.94	109	9.42	15.1	-5.63	160	8.7	28.54	-19.84	328	-26.41
10	सिन्डीकेट बैंक	5.01	-1.5	6.48	-29	4.35	14.2	-9.87	327	4.26	15.19	-10.93	357	-14.32
11	लक्ष्मी विलास बैंक	0.46	-0.6	1.04	-126	0.66	1.49	-0.83	226	0.66	4.12	-3.46	622	-3.25
12	दी साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड	0.26	2.53	-2.27	973	0.26	-0.03	0.29	-12	0.27	0	0.27	0	-1.71
13	विजया बैंक	2.08	-0.8	2.88	-38	1.94	-0.08	2.02	-4	1.9	15.04	-13.14	792	-8.24
जोड़														-309.27

प्रीमियम और दावा के मध्य अन्तराल 2009-10 और 2010-11 में अधिक था। उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान इन बैंकों के संबंध में कम्पनी की हानि नीचे दी गई है:

¹² निवल दावा = दावा घटा वसूली

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	वर्ष	प्रीमियम	निवल दावा	घाटा
1	एक्सिस बैंक	2010-11	4.10	61.47	57.37
2	कनार्टक बैंक	2009-10	2.91	34.31	31.40
		2010-11	3.57	25.39	21.82
3	आईएनजी वैश्य बैंक	2010-11	2.54	33.30	30.76
4	देना बैंक	2009-10	3.76	45.20	41.42
		2010-11	4.04	10.44	6.40
5	सारस्वत को-ओप बैंक	2010-11	1.10	11.96	10.86
6	बैंक ऑफ इण्डिया	2009-10	5.96	48.10	42.13
7	ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स	2010-11	5.58	21.77	16.19
8	यूको बैंक	2010-11	3.83	27.04	23.21
9	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2010-11	8.70	28.54	19.84
10	सिन्डीकेट बैंक	2009-10	4.35	14.2	9.87
		2010-11	4.26	15.19	10.93
11	लक्ष्मी विलास बैंक	2009-10	0.66	1.49	0.83
		2010-11	0.66	4.12	3.46
12	विजया बैंक	2010-11	1.90	15.04	13.14
	जोड़		57.92	397.56	339.63

जैसाकि उपर्युक्त से देखा गया, 2009-10 और 2010-11 के दौरान दावों में वृद्धि हुई थी ने संकेत दिया कि कम्पनी द्वारा की गई अरक्षितता को मॉनीटर करने की आवश्यकता है। सीपीआर में एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत अन्तर था। वास्तव में इसकी रेंज 2008-09 में 973 प्रतिशत से (-) 126 प्रतिशत तक और 2009-10 में 1202 प्रतिशत¹³ से (-) 12 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार 2010-11 में सीपीआर रेंज 1499 प्रतिशत से शून्य प्रतिशत तक थी। डब्ल्यूटीपीएस कवर के संबंध में प्रीमियम को बैंको द्वारा वहन किया गया था और प्रीमियम में पर्याप्त लोडिंग के बिना बैंको को बहुत उच्च दावा अनुपात की अनुमति देने में कम कम्पनी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उनको अनभिप्रेत अभिलाभ हुआ।

¹³ एक धनात्मक सीपीआर प्रतिशतता प्रतिकूल सीपीआर को दर्शाती है चूंकि दावे प्रदत्त प्रीमियम की अपेक्षा उच्चतर हैं।

यह देखा गया था कि कवरस का नवीनीकरण करते हुए कम्पनी ने किसी वर्ष के लिए खराब निष्पादन के लिए किसी निरूत्साहन के बिना अन्यथा इसके विपरीत पिछले पाँच वर्षों से संबंधित प्रीमियम, प्रदत्त दावा आदि के डॉटा पर विचार किया। इसने दो वर्षों के दौरान सीपीआर में स्पाइक को अपस्फीति किया। बहुत से मामलों में यह देखा गया था कि तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के लिए औसत सीपीआर पाँच वर्षों (2006-07 से 2010-11) के औसत सीपीआर की अपेक्षा अधिक था। इस प्रकार, पाँच वर्षों के औसत सीपीआर के अभिग्रहण से दावा अनुपात को कम करने के लिए विवेकी प्रथा अपनाने के लिए बैंको पर संकुचन प्रभाव नहीं पड़ा।

जुलाई 2010 में एक निदेशक ने बोर्ड की बैठक में सुझाव दिया कि कम्पनी उनके संबंधित सीपीआर यदि उचित हो के आधार पर बैंको के लिए विभेदक प्रीमियम दरों पर विचार कर सकती है। तदनन्तर, कम्पनी ने प्रीमियम की एक विभेदक दर का प्रारम्भ किया (मई 2011) जिसके अनुसार 5.5 पैसे से 7.00 पैसे तक प्रति ₹ 100 की रेन्ज में प्रीमियम दर सीपीआर पर आधारित डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत प्रभारित करनी थी।

तथापि, यह देखा गया था कि फिर भी डब्ल्यूटीपीएस के लिए विभेदक दर संरचना डब्ल्यूटीपीसी की अपेक्षा कम थी जिसकी रेंज 6 पैसे से 10 पैसे प्रति ₹ 100 थी। इसके अतिरिक्त, 400 प्रतिशत से अधिक सीपीआर के लिए जोखिम के स्वीकरण के लिए मनाही नहीं थी जैसा कि डब्ल्यूटीपीसी के मामले में था।

कम्पनी ने बताया (मई 2012) कि:

- पाँच वर्षीय दावा अनुपात के अभिग्रहण से डब्ल्यूटीपीसी में निर्यातकों पर बढ़ते हुए प्रीमियम भार का परिहार किया जाना था और समान अवधि को एकसमानता के लिए डब्ल्यूटीपीएस के लिए अपनाया गया;
- अधिकतर जी-11 और अन्य देशों में निर्यात क्रेडिट बीमा के कारण हानियों को उनके देशों के निर्यात को कायम रखने के लिए सरकारी निर्यात क्रेडिट एजेंसियों के माध्यम से संबंधित सरकारों द्वारा वहन किया गया और इसलिए पाँच वर्षों की अवधि को तार्किक माना गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जून 2012) कि:

- कम्पनी का इरादा बैंको पर कोई संकुचन प्रभाव रखने का नहीं था ताकि निर्यात के लिए क्रेडिट का प्रवाह प्रभावित न हो। बैंको के अच्छे और खराब निष्पादन को दर्शाने के लिए शास्ति की पहचान की प्रणाली रखना आरबीआई का कार्य था।

- सीपीआर निकालने के लिए पाँच वर्षों की अवधि को तार्किक और उपयुक्त माना गया था क्योंकि विशिष्ट वर्ष में दावों में तीव्र वृद्धि से मन्द प्रभाव पड़ेगा।
- डब्ल्यूटीपीसी कवरस ने डब्ल्यूटीपीएस की तुलना में उच्चतर जोखिम वहन किया। डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत दावा निपटान 2009-10 और 2010-11 को छोड़कर बहुत से पिछले वर्षों के लिए डब्ल्यूटीपीएस की अपेक्षा स्थिर रूप से उच्चतर था।
- बीओडी ने सुझाव नहीं दिया कि दो कवरस की प्रीमियम दरें समान होंगीं लेकिन डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत स्लेब्स की संख्या समान होगी।
- डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत प्रतिशतता कवर डब्ल्यूटीपीसी की तुलना में कम था।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि:

- क्रेडिट के प्रवाह को आरबीआई द्वारा सुनिश्चित किया जाना था और बैंकों को क्रेडिट बीमा उपलब्ध कराने में कम्पनी की भूमिका मात्र सीमित थी। क्रेडिट प्रबन्धन के अनुसार बैंकों के खराब निष्पादन के भार को वहन करने के लिए कम्पनी के भाग पर यह विवेकपूर्ण नहीं था।
- औसत पांच वर्ष का अभिग्रहण अन्य सामान्य बीमाकर्ताओं¹⁴ जो सामान्यतः तीन वर्ष सीपीआर अपना रहे थे द्वारा अनुसरण की गई प्रथा के अनुसार नहीं था।
- पिछले नौ वर्ष की अवधि (2002-03 से 2010-11) के दौरान दो उत्पादों के निष्पादन ने दर्शाया कि डब्ल्यूटीपीसी के परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान ₹ 1369 करोड़ का अधिशेष हुआ जबकि डब्ल्यूटीपीएस के परिणामस्वरूप ₹ 192 करोड़ की निवल हानि हुई। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीपीसी नौ वर्षों के प्रत्येक वर्ष में लाभदायक थी जबकि डब्ल्यूटीपीएस ने नौ वर्षों में से पाँच के दौरान हानियाँ वहन की। डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत वसूली निष्पादन भी बहुत अधिक था (46 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत डब्ल्यूटीपीएस के लिए)। इस प्रकार, कम्पनी को डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत अधिक जोखिम के लिए अरक्षित छोड़ दिया गया था। इसलिए, डब्ल्यूटीपीएस को उपयुक्त रूप से मूल्यांकित किए जाने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, प्रतिकूल दावा अनुपात को अन्तर्विष्ट करने के लिए डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत प्रोत्साहन और निरूत्साहन की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी।

¹⁴ उदाहरणार्थ दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

2.2.2 डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत दावे

लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान कम्पनी द्वारा अदा किए गए कुल ₹ 371 करोड़ के 29 मुख्य डब्ल्यूटीपीएस दावों की जाँच की। इनमें से, ₹ 347 करोड़ के 26 दावे संघ व्यवस्था के अन्तर्गत हीरे के निर्यात से संबंधित थे। ₹ 278.43 करोड़ के 17 दावे मात्र चार निर्यातकों से संबंधित थे। कम्पनी द्वारा कवर किए गए नौ सदस्यीय बैंको¹⁵ वाले चार संघों ने हीरे के निर्यात के लिए इन चार निर्यातको को 477 अग्रिम दिए। ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अग्रणी बैंक का नाम	अन्य संघ सदस्यों की संख्या	निर्यातक का नाम	अग्रिमों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	प्रदत्त दावों की राशि
1	देना बैंक	6	नीरू इम्पेक्स	209	144.98	4	89.25
2	बैंक ऑफ इण्डिया	5	कालसारिया डायमन्ड्स	105	133.53	5	77.61
3	एसबीआई	12	जेबी डायमन्ड्स	89	148.76	3	63.48
4	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	4	मुकुन्द जेम्स	74	91.60	5	48.09
जोड़				477	518.87	17	278.43

लेखापरीक्षा ने इन 17 दावों में से 14 दावों की विस्तृत जाँच की। इन 14 दावों में 61 विदेशी क्रेताओं को हीरे निर्यात के लिए दिए गए 310 अग्रिम और कम्पनी द्वारा ₹ 203.81 करोड़ का दावा भुगतान शामिल था। 40 विदेशी क्रेताओं के मामले में भुगतान में चूक के पुनरावृत्त मामले हुए थे जिसके परिणामस्वरूप बैंकों से निर्यातकों द्वारा लिए गए बहुविध अग्रिमों की चुकौती में चूक हुई। 289 अग्रिमों में कुल चूक ₹ 367 करोड़ की हुई थी और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी के लिए ₹ 192 करोड़ के दावे बहिर्गामी हुए। ऐसी चूकों की संख्या इन 40 क्रेताओं के लिए 2 से 27 की रेंज में थी। इनमें से छः ने 10 अग्रिमों से अधिक के भुगतान में चूक की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.72 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

¹⁵ आईएनजी वैश्य, विजय बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, कर्नाटक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निर्यातक का नाम	क्रेता का नाम	बैंकों की संख्या	अग्रिमों की संख्या	अग्रिमों की राशि	प्रदत्त दावा की राशि
1	नीरू इम्पेक्स	i) नीरू क्रिएशन्स	3	27	7.61	4.07
2	कालसारिया डायमन्डस	ii) जेम गोल्ड इन्टरनेशनल (एचके)	4	14	16.44	9.86
3	जेबी डायमन्डस	iii) सुगम (एचके)	3	21	37.19	16.32
		iv) छन नीट ट्रेडिंग क. (एचके)	2	11	22.30	7.21
4	मुकुन्द जेम्स	v) डायम स्टार (एचके)	4	22	28.99	15.25
		vi) डायमंड क्लेक्शन (एचके)	3	11	11.05	6.01
जोड़				106	123.58	58.72

बैंकों ने हॉगकाँग आधारित क्रेताओं को निर्यात के लिए इन निर्यातकों को ₹ 322.67 करोड़ की राशि के 310 अग्रिमों में से 240 का संवितरण किया जिसमें चूक के परिणामस्वरूप ₹ 170.10 करोड़ के दावों का भुगतान करना पड़ा। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि समान व्यक्ति हॉगकाँग आधारित विभिन्न क्रेताओं के लिए सीईओ थे। वास्तव में इसका तात्पर्य है कि जोखिम मात्र क्रेता स्तर पर संक्रेन्द्रित नहीं था बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी। नीचे दी गई तालिका व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम की तीव्र एकाग्रता और इन व्यक्तियों के संबंध में ₹ 67.21 करोड़ के दावों के प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम सर्वश्री	स्वामित्व/सीईओ के रूप में क्रेता की रिपोर्ट में शामिल होने वाला	अग्रिमों की संख्या	अग्रिमों की राशि	प्रदत्त दावा
1	भूपेन्द्र जिवराजभाई सुरानी	ग्लोबल ट्रेन्ड इन्टरनेशनल	9	13.27	5.76
		जेबी क्लेक्शन	9	18.98	8.65
		जेबी ज्वैलरी	6	12.87	6.13
		सुगम	21	37.19	16.32
2	लक्ष्मण दाताराम दलवाई	जेम डाय	10	11.11	6.42
		कृष्णा ज्वैल्सरस	8	11.16	6.47
		क्रिस्टल डिजाइन्स	11	11.17	6.39
3	रोहत दुसाद	कोवलून इम्पेक्स	8	16.69	10.01
		रेवा ट्रेडिंग	1	1.46	1.06
जोड़			83	133.90	67.21

उपयुक्त उल्लिखित संघों में एकाग्रता के जोखिम के अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने संघ सदस्यों के मध्य समन्वय का अभाव भी देखा। जनवरी 2009 से नवम्बर 2009 के दौरान चार संघ सदस्यीय बैंकों ने विदेशी क्रेताओं के संबंध में चार निर्यातकों को ₹ 12.83 करोड़ के 10 प्रश्च लदान क्रेडिट दिए जिन्होंने नियत तारीख/विस्तारित नियत तारीख के अन्दर ₹ 7.15 करोड़ के लिए सात अग्रिमों की चुकौती में पहले चूक की थी।

यह पाया गया कि कुछ मामलों में जिनमें संघ व्यवस्थाएँ थीं, कम्पनी को निर्यातकों द्वारा चूक की रिपोर्ट फाइल करते समय ही उसकी जानकारी हुई थी। इस प्रकार, इसके बदले में डब्ल्यूटीपीएस कवर का बीमांकन करते हुए कम्पनी ने उस सीमा तक कम्पनी के जोखिम के केन्द्रीकरण का मूल्यांकन नहीं किया था कि कम्पनी बैंकों के बीच इन प्रबन्धों की विद्यमानता से अवगत भी नहीं थी।

कम्पनी ने उत्तर (मार्च 2012) में बताया कि विभिन्न संघ सदस्यों के बीच समन्वयन के मामले पर आरबीआई¹⁶ द्वारा और उनके द्वारा नहीं, कार्रवाई करनी थी।

मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर का समर्थन करते हुए (जून 2012) बताया कि विभिन्न पहल रत्न, जवाहारात और हीरा क्षेत्र में हानियों को रोकने के लिए कम्पनी द्वारा की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 में ₹ 606 करोड़ के प्रति 2011-12 में ₹ 530 करोड़ का निम्नतर दावा हुआ। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि कम्पनी ने ईसीजीसी की निवल परिसम्पत्ति से सम्बद्ध ऋण के लिए विवेकी प्रतिमान की शुल्कात की थी।

कम्पनी का उत्तर प्रदर्शित करता है कि किसी एक व्यक्ति की चूक के कारण वित्तीय स्थिति के प्रति उत्पन्न गम्भीर खतरा का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था और हानि की सम्भावना को कम करने हेतु उपाय नहीं किए गए थे।

सभी जोखिम प्रकटनों की रूपरेखा बनाना और जोखिम कम करने हेतु उपयुक्त उपाय उपलब्ध कराना कम्पनी का उत्तरदायित्व था। इसके अतिरिक्त पण्य, क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम के केन्द्रीकरण से व्युत्पन्न जोखिम को कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम्पनी बीमांकन के समय विभिन्न बैंकों के बीच प्रबन्ध से अवगत न हो। तथ्य के अलावा ₹ 530 करोड़ के दावे अत्यंत उच्च थे। मंत्रालय के उत्तर में अवधि के दौरान उच्च जोखिम सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।

¹⁶ भारतीय रिजर्व बैंक

2.2.3 क्रेता सत्यापन में अर्याप्तताएँ

डब्ल्यूटीपीएस ने बैंकों से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी खाताधारकों को कवर किया था। कुछ खाताधारक पॉलिसी धारक (कम्पनी के साथ अल्पावधि पॉलिसी) हो सकते थे। खाताधारकों जो पॉलिसीधारक थे, के सम्बन्ध में चूक के जोखिम का पहले ही निर्धारण किया गया था और कम्पनी द्वारा क्रेडिट सीमा नियत की गई थी। तथापि, गैर पॉलिसीधारकों के सम्बन्ध में बैंकों से उपयुक्त रक्षोपाय करना जैसे क्रेताओं से ऋण-साख रिपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षित था और क्रेताओं से भुगतान सामान्य तौर पर प्राप्त हो रहे थे।

पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में क्रेताओं के ऋण-साख के अपर्याप्त सत्यापन का विषय उठाया गया था। मंत्रालय ने जनवरी 2011 की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में बताया कि बैंकों के लिए क्रेता क्रेडिट साख का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने की लेखापरीक्षा की सिफारिश का कार्यान्वयन किया गया था।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान इस विषय पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई थी और यह पाया गया था कि 2008-09 से 2010-11 के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदत्त 135 डब्ल्यूटीपीएस दावों में से 111 गैर पॉलिसीधारक से सम्बन्धित थे। इन मामलों में बैंक सत्यापन के लिए जिम्मेदार थे। ₹ 371 करोड़ (135 दावों के लिए प्रदत्त ₹ 534 करोड़ का 69 प्रतिशत) के 29 चयनित डब्ल्यूटीपीएस दावों (सभी गैर-पॉलिसी धारक) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इंगित हुआ कि 668 अग्रिमों में से बैंक शाखाओं ने क्रेता रिपोर्टों को संतोषजनक सुनिश्चित किए बिना निर्यातकों को 574¹⁷ अग्रिमों का संवितरण किया जैसाकि नीचे ब्यौराबद्ध है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अग्रिम				प्रदत्त दावे		
	रिपोर्टों के प्रकार	अग्रिमों की संख्या		रिपोर्टों के प्रकार	अग्रिमों की संख्या		रिपोर्टों के प्रकार
1	आउट-डेटेड रिपोर्ट ¹⁸	125	145.25	21.42	29	79.39	21.39
2	पोस्ट- डेटेड रिपोर्ट ¹⁹	71	81.29	11.99		46.86	12.63
3	असंतोषजनक रिपोर्ट ²⁰	133	162.47	23.96		87.54	23.59
4	संतोषजनक रिपोर्ट ²¹	94	105.81	15.61		54.96	14.81
5	शून्य रिपोर्ट ²²	245	183.15	27.02		102.34	27.58
	जोड़	668	677.97	100.00	29	371.09	100.00

¹⁷ कुल अग्रिमों की संख्या में से निपटायी रिपोर्ट अर्थात् 668-94=574

¹⁸ अग्रिम की तारीख से छः महीने पूर्व प्राप्त कोई रिपोर्ट

¹⁹ अग्रिम के भुगतान की तारीख के बाद प्राप्त कोई रिपोर्ट

²⁰ क्रेता की अपर्याप्त सूचना के कारण शून्य श्रेणी अथवा औसत से नीचे श्रेणी वाली कोई रिपोर्ट

²¹ संतोषजनक श्रेणी सहित अग्रिम की तारीख, दोनों के सुसंगत कोई रिपोर्ट

²² बैंक द्वारा प्राप्त न की गई रिपोर्ट

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कम्पनी ने एक खंड के साथ बैंकों को ईसीआईबी कवर जारी किया जिसमें निर्यातकों को क्रेडिट प्रदान करने में बैंक द्वारा बरती गई समुचित सावधानी अपेक्षित थी।
- बैंकों को जारी ईसीआईबी बांड के कवर पत्र में क्रेता सत्यापन की शर्त पर कम्पनी द्वारा एक विनिर्देशन भी किया गया था।
- अधिकांश बैंकों ने निर्यातकों को अग्रिम प्रदान करने से पहले अपनी शाखाओं द्वारा अनुपालन की पूर्व शर्त का क्रेता सत्यापन किया।
- दो निर्यात प्रोत्साहन निकायों (एक्सपोर्टर्स इंडिया और टेक्सटाइल्स इनडेथ) ने भी पाया था (अप्रैल 2012) कि गैर- एलसी निर्यातों के मामले में बैंक वित्त पोषण निर्यातक के अलावा क्रेता की क्रेडिट शाखा पर पूर्णतः निर्भर था।

आउट-डेटेड, पोस्ट -डेटेड, असंतोषजनक अथवा शून्य क्रेता सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर बैंक की शाखाओं द्वारा अग्रिम संवितरीत किए गए थे। इस प्रकार, बैंक शाखाओं की ओर से ईसीआईबी बांड के कवर-पत्र में कम्पनी द्वारा किए गए विनिर्देशनों के प्रति उचित सावधानी का अभाव एवं अननुपालन था। बैंकों द्वारा उचित सावधानी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी प्रमाण-पत्र पर दावों के भुगतान से पहले कम्पनी द्वारा जोर दिया गया था। बैंक शाखाओं की ओर से शिथिलता के बावजूद कम्पनी ने ₹ 316.13 करोड़²³ के दावों का भुगतान किया।

उत्तर में कम्पनी ने बताया (मार्च 2012) कि:-

- सभी क्षेत्रों के लिए ऐसी अनिवार्य शर्तों का विनिर्देशन करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि बैंकों ने अपने क्रेडिट मूल्यांकन प्रतिमानों/मानकों का अनुसरण किया।
- इसका कवर में विदेशी क्रेता रिपोर्टें प्राप्त करने की शर्त को लगाने का कोई इरादा नहीं था।
- रत्न जवाहारात और हीरे के सम्बन्ध में प्रतिकूल दावा अनुभव पर आधारित होते हुए संतोषजनक क्रेता रिपोर्टें प्राप्त करना दिसम्बर 2009 के बाद से सीमित अनुमोदनों के लिए अनिवार्य बनाया गया था।
- कई उदाहरण थे जहाँ कम्पनी ने आउट-डेटेड/पोस्ट -डेटेड/असंतोषजनक रिपोर्टों के आधार पश्च लदान अग्रिम अननुमत किया था।

²³ कुल दावों में से संतोषजनक रिपोर्टों हेतु प्रदत्त दावों अर्थात् ₹ 371.09-₹ 54.96 करोड़ =₹ 316.13 करोड़

मार्च 2012 में एक्जिट बैठक के दौरान प्रबन्धन ने आगे विस्तार से बताया कि भारत सरकार और आरबीआई दोनों निर्यातकों को क्रेडिट देने में उदार दृष्टि ले रहे थे। बैंकों को निश्चित आदेश के बिना भी अग्रिम देने हेतु अनुमत किया गया था और बैंकों को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत बिलों पर आवश्यक रूप से बट्टा देना पड़ा था जबकि क्रेता सत्यापन ने पैकिंग क्रेडिट अग्रिमों को प्रदान करने के बाद अपर्याप्तताएँ दर्शायी थीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में आगे बताया (जून 2012) कि:-

- यद्यपि क्रेता आदायगी करने में विफल रहता फिर भी बैंक निर्यातक का सहारा ले सकता था और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि भुगतान न करने का कारण आउट-डेटेड अथवा असंतोषजनक अथवा पोस्ट -डेटेड क्रेता रिपोर्ट था। इसके अतिरिक्त निर्यातक उधारकर्ता के सम्पूर्ण खाते को ईसीआईबी के अन्तर्गत कवर किया गया था और दावा तभी किया जाता था यदि सम्पूर्ण खाता एनपीए हो जाता।
- क्रेता सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा सिफारिश के बाद बैंकों ने सूचित किया कि वे आरबीआई प्रतिमान द्वारा शासित थे और उनकी आंतरिक संस्वीकृति निबन्धनों में इस प्रभाव के लिए शर्तें सामान्यतया विनिर्दिष्ट थीं कि विदेशी क्रेताओं जो एसोसिएट्स नहीं थे की संतोषजनक क्रेडिट रिपोर्टें प्राप्त करनी चाहिए। सभी क्षेत्रों के लिए बिलों को बट्टा करने हेतु विदेशी क्रेता की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्ति अनिवार्य रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती थी और बैंक कम्पनी से कवरों के अभाव में निर्यात वित्त देने से बाहर हुए थे।
- बैंकों को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत बिलों की आवश्यक रूप से खरीद करनी थी जबकि क्रेता सत्यापन ने अपर्याप्तताएँ दर्शायी थीं।
- कम्पनी ने बैंकों को ईसीआईबी कवर देने हेतु बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से विदेशी क्रेता की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में 2008 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार करने में गलती की थी।

तथापि, इसने यह भी बताया कि कम्पनी भविष्य में यदि परिस्थितियों से वांछित हो, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए क्रेता सत्यापन से सम्बन्धित शर्त का विनिर्देशन विचार करेगी।

उत्तरों को निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है;

- कम्पनी की नियमपुस्तक के अनुसार डब्ल्यूटीपीएस ने निर्यात प्राप्तियों की उगाही न होने और निर्यातक के परिणामी दिवालियापन/दीर्घकालिक चूक को कवर किया था। इस प्रकार, विदेशी क्रेता का निष्पादन निर्यातक से असम्बद्ध नहीं किया गया था और क्रेता की वित्तीय स्थिति पर जोखिम मूल रूप से निर्भर था।
- यद्यपि बैंक आरबीआई प्रतिमान से शासित थे। फिर भी कम न होने वाले जोखिम के प्रति सुरक्षा हेतु कवर में प्रावधान बनाने में कम्पनी का हित है। बैंकों द्वारा उचित क्रेता सत्यापन सुनिश्चित करने से चूक की सम्भावनाओं एवं कम्पनी की हानि में कमी आएगी।
- मंत्रालय ने अपने एटीएन (जनवरी 2011) में बताया था कि विषय पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिश कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तथापि, कम्पनी के उत्तर कि उन्होंने सिफारिश स्वीकार करने में गलती की, के वर्तमान समर्थन से अभिशासन में कमी प्रदर्शित हुई थी। इसके अतिरिक्त बैंक की आंतरिक संस्वीकृति शर्तों में क्रेता सत्यापन के विषय में गैर एसोसिएट्स से एक एसोसिएट्स²⁴ का भेद नहीं किया गया था।
- बैंकों में इस जानकारी के बाद भी कि क्रेता रिपोर्ट असंतोषजनक थी, बिलों में छूट देने की कोई बाध्यता नहीं थी।
- दिसम्बर 2009 में कम्पनी द्वारा की गई कार्रवाई में रत्न और जवाहरात अग्रिमों के लिए क्रेता सत्यापन विनिर्दिष्ट करते हुए शाखा कार्यालयों को आंतरिक परिपत्र जारी करना था जो बैंकों पर कानूनी रूप से लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा सिफारिश सभी पण्यों के लिए थी।
- विगत तीन वर्षों में ₹ 572.16 करोड़ के 574 अग्रिमों में से जहाँ लेखापरीक्षा ने निर्यातकों की चूक पायी थी, कम्पनी ने क्रेता रिपोर्टों के आधार पर ₹10.41 करोड़ (1.82 प्रतिशत) के मात्र सात मामलों को अननुमत किया था।
- इरडा ने अन्य बातों के साथ-साथ असंतोषजनक क्रेता रिपोर्टों पर ईसीजीसी पर आनसाइट रिपोर्ट (अक्टूबर 2011) द्वारा टिप्पणी दी।

²⁴ एक एसोसिएट्स का तात्पर्य एक विदेशी सहायक कम्पनी बैंक के निर्यातक ग्राहक का एक एसोसिएट्स है जिनमें निर्यातक ग्राहक का वित्तीय हित और/अथवा प्रचालनात्मक/प्रबन्धकीय नियंत्रण है।

इस प्रकार, कम्पनी ने बैंकों के एनपीए का हस्तांतरण करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली अतिसंवेदनशील प्रणाली में दोषपूर्ण क्रेता रिपोर्टों के बावजूद देयता स्वीकार की। इससे अंततः 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान ₹187 करोड़ के घाटे के साथ डब्ल्यूटीपीएस कवर का नकारात्मक निष्पादन हुआ।

2.2.4 अविवेकी बीमांकन

कुछ निर्यात संव्यवहारों में विदेशी क्रेता ठेका के क्रियान्वयन के लिए भारतीय निर्यातकों को अग्रिम भुगतान करते हैं और उसे ठेका के संतोषजनक निष्पादन पर चुका दिया जाता है। तथापि, इन मामलों में क्रेताओं से सामान्यतया अपेक्षित है कि अग्रिम भुगतान बैंकों द्वारा गारंटीकृत हो।

कम्पनी ने निर्यात निष्पादन अग्रिम भुगतान (ईपीएपी) कवर में उनके द्वारा जारी ऐसी गारंटियों के प्रति बैंकों को प्रति गारंटी उपलब्ध करायी जिससे निर्यात बाध्यता की पूर्ति में निर्यातक की विफलता के प्रति बैंकों की रक्षा हुई।

2008-09 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने ₹ 815.48 करोड़ के कुल जोखिम मूल्य के 142 गारंटियाँ जारी की। इनमें से 45 गारंटियाँ एक निर्यातक मैसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड के निष्पादन के प्रति बैंकों को जारी की गई थी जैसाकि नीचे ब्योराबद्ध है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की कुल संख्या एवं मूल्य		मैसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड	
	संख्या	जोखिम मूल्य	संख्या	जोखिम मूल्य
2008-09	75	571.53	35	494.32
2009-10	44	224.20	10	155.69
2010-11	23	19.75	शून्य	शून्य
जोड़	142	815.48	45	650.01

कम्पनी बैंकों द्वारा निर्यातक की उधार -साख के निर्धारण पर भरोसा करते हुए बैंकों को प्रति गारंटियाँ जारी कर रही थी और निर्यातक अथवा उसके ठेके के निष्पादन की क्षमता के स्वतंत्र मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी।

मैसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में बैंकों को प्रति गारंटियों के निर्गम से सम्बन्धित मामले पर नीचे चर्चा की जाती है।

मैसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड, एक मध्यम आकार की परियोजना विकास एवं आईटी कम्पनी बहुक्षेत्र परियोजनाओं जैसे प्रक्रिया संयंत्र, केमिकल एवं पेट्रो-केमिकल संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, आटो कम्पोनेन्ट, जल आपूर्ति पाइपलाइनों का पुनर्वास इत्यादि, में सम्मिलित थी। कम्पनी ने उपरोक्त निर्यातक के सम्बन्ध में पंजाब नैशनल बैंक के नेतृत्व में 24 बैंकों के संघ को 2003 से 2009 के दौरान ₹ 2114 करोड़ के मूल्य के लिए 193 प्रति गारंटियाँ जारी की। इन प्रति गारंटियों में विभिन्न देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विदेशी क्रेताओं से निर्यातक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतानों को कवर किया गया था। तथापि, ₹ 2066 करोड़ के लिए 190 कवरों को परियोजनाओं के समापन न करने हेतु विदेशी क्रेताओं द्वारा भुनाया गया था (मार्च 2009 के बाद से)। तदनुसार बैंकों के संघ ने दावा किया (फरवरी 2010 से अप्रैल 2011) और कम्पनी की निवल दावा देयता ₹ 1047 करोड़ परिकलित थी। दावा की प्राप्ति के बाद कम्पनी ने बैंकों में अभिलेखों का निरीक्षण किया (सितम्बर 2011) और पाया कि प्रारम्भ में अग्रिमों के रूप में प्राप्त आंशिक धन उसी इकाई को पुनः भेजा गया था जिसने अग्रिम दिया था। निरीक्षण से यह भी पता चला कि ₹15 करोड़ को परियोजना से न जुड़ी इकाइयों को हस्तांतरित किया गया था (सितम्बर 2006)। कम्पनी ने उपरोक्त आधार पर बैंकों के दावों को नामंजूर किया। मामले की सीबीआई²⁵ द्वारा जाँच-पड़ताल भी की जा रही थी (2011) और एक मामला मैसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशक और अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

यद्यपि कम्पनी ने मार्च 2011 से अक्टूबर 2011 के दौरान दावों को नामंजूर किया था फिर भी इस जोखिम को लेने में कम्पनी की निम्नलिखित चूक को उल्लिखित करना अपेक्षित है।

- गारंटी और प्रति गारंटी छः महीनों की अवधि के लिए थी। तथापि, उदाहरणार्थ मामले में कम्पनी ने पाँच से अधिक वर्षों के लिए प्रति गारंटियाँ दी थी और साथ-साथ इसकी ऋण में वृद्धि हुई थी जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	गारंटियों के निर्गम की अवधि	गारंटियों/परियो जनाओं की संख्या	सितम्बर 2009 को बकाया गारंटियों का मूल्य	परियोजना समापन की प्रतिशतता की सीमा
1	2003-04 से 2005-06	42	252.78	90 से अधिक
2	2004-05 से 2006-07	34	338.12	60-89
3	2005-06 से 2008-09	44	492.09	30-59
4	2006-07 से 2008-09	73	1031.27	0-29
	जोड़	193	2114.26	

²⁵ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

पूर्ववर्ती वर्षों में जारी प्रति गारंटियों के गैर परिसमापन, उसका विस्तार और नया गारंटियों के जारी करने के परिणामस्वरूप दावा मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई।

- कम्पनी ने परियोजनाओं के समापन की प्रास्थिति प्राप्त किए बिना फरवरी 2004 में ₹ 285 करोड़ से मार्च 2009 में ₹ 1850 करोड़ तक ऋण सीमा बढ़ायी। कम्पनी ने बैंक द्वारा दावा को सूचित करने के बाद ही सितम्बर 2009 में परियोजनाओं के समापन की प्रास्थिति रिपोर्ट प्राप्त की। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार 193 परियोजनाओं (₹ 2114 करोड़) में से 73 परियोजनाओं (₹ 1031 करोड़) के सम्बन्ध में समापन मात्र 0-29 प्रतिशत था। इसके संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1850 करोड़ के चरम जोखिम मूल्य के साथ उसी पक्षकार के सम्बन्ध में जोखिम का संचयन हुआ।
- इस मामले में कम्पनी की अधिकतम देयता ₹ 1222 करोड़ (फरवरी 2011) थी जिसके प्रति पुनर्बीमा कवर मात्र ₹ 175 करोड़ (लगभग) के लिए उपलब्ध था और शेष का कम्पनी द्वारा वहन किया जाना था।
- यद्यपि प्रति गारंटी कवर को शासित करने वाले कम्पनी के बीमांकन दिशानिर्देश में विनिर्दिष्ट है कि विदेशी क्रेताओं की दी गई बैंक गारंटियों का मूल्य निर्यात प्राप्तियों की प्राप्ति पर कम कर दी गई थी फिर भी वही शर्त गारंटी में बैंकों द्वारा सम्मिलित नहीं की गई थी जैसाकि नमूना जाँच से पता चला। बीमांकन को परिहार किया जा सकता था यदि कम्पनी उनके द्वारा दी गई गारंटियों में बैंक द्वारा की गई चूक की ओर ध्यान दी होती।

कम्पनी ने अपने उत्तर (मार्च 2012) में बताया कि उसने प्रस्ताव फार्म में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के विश्वास में कवर जारी किया था। इसके अतिरिक्त यह बताया गया था कि दावों को निर्यातकों द्वारा की गई गम्भीर धोखाधड़ी और आरबीआई प्रतिमानों के उल्लंघन में बैंकों द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग के मानीटरिंग न करने के कारण नामंजूर कर दिया गया था। कम्पनी ने यह भी बताया था कि इसने जोखिम कम करने के कठोर उपाय/प्रत्येक निर्यातक ऋण के लिए सीमा का नियतन, पुनर्बीमा कवर का संवर्धन, ईसीआईबी/ईपी कवर प्रलेख इत्यादि को निरीक्षण करना और सुदृढ़ करना जैसे विवेकी प्रतिमान की पहल कर दी थी। एक्जिट बैठक के दौरान कम्पनी ने ईसीजीसी कवर की फार्म डिजाइन में सुधार करने के लिए समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई करने और बड़े ईपीएपी कवरों के सम्बन्ध में बीमांकन चरण में बैंक के मूल्यांकन का सत्यापन करने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय ने विश्वास में कवर को जारी करने और निर्यातक द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण दावा को नामंजूर करने के सम्बन्ध में कम्पनी के उत्तर का समर्थन किया (जून 2012)।

तथ्य रहता है कि कम्पनी के पास मेगा जोखिम का बीमांकन करते हुए जोखिम के स्वतंत्र निर्धारण करने की उपयुक्त प्रणाली नहीं थी।

2.2.5 हीरा निर्यात के लिए पण्य विशिष्ट कवर का जारी न करना

हमने पाया कि यद्यपि 2008-09 से 2010-11 के दौरान रत्न एवं जवाहरात अग्रिमों के सम्बन्ध में भुगतान किया गया दावा अधिकतम (कुल ₹ 534 करोड़ में से ₹432 करोड़) था फिर भी बीओडी का उचित प्रीमियम दर के साथ पण्य विशिष्ट कवर जारी करने का निर्णय 2002 से लम्बित था। सीएमडी ने रत्न एवं जवाहरात की प्रीमियम दर में वृद्धि की आवश्यकता का भी अनुभव किया (मार्च 2011) और कम्पनी की कारपोरेट योजना में ऐसे कवरों को जारी करने का भी प्रावधान था।

कम्पनी ने अपने उत्तर (मार्च 2012) में बताया कि वह उपयुक्त पण्य कवर की शुरूआत के लिए रत्न एवं जवाहरात निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल के साथ चर्चा में थी।

मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर का समर्थन किया (जून 2012)।

2.2.6 अधिकतम देयता का नियतन करना

डब्लूटीपीसी एवं डब्लूटीपीएस कवरों का बीमांकन करते समय कम्पनी प्रत्येक के लिए पृथक रूप से अधिकतम देयता (एमएल) का भी नियतन कर रही थी। एमएल बैंकों के लिए कम्पनी की ओर से देयता की सीमा को विनिर्दिष्ट किया था। कम्पनी के ईसीआईबी मैनुअल के अनुसार एमएल को कवर (जुलाई से जून) की शुरूआत से पहले 31 मार्च को बकाया कुल अग्रिमों (डब्लूटीपीसी अथवा डब्लूटीपीएस) के आधार पर प्रत्येक बैंक के लिए नियत किया जाना था। हमने डब्लूटीपीसी के चयनित 33 कवरों जहाँ सीपीआर 70 प्रतिशत से अधिक था में एमएल कुल बकाया अग्रिमों के 9.55 प्रतिशत से 71.56 प्रतिशत पाया। इसी प्रकार डब्लूटीपीएस के 33 कवरों जहाँ सीपीआर 70 प्रतिशत से अधिक था में एमएल 5.46 प्रतिशत से 169.49 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, एमएल के नियतन करने में कोई समानता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त उपयुक्त फार्मूलों के बिना मात्र वर्ष की समाप्ति पर कुल अग्रिम बकाया के सन्दर्भ में एमएल का नियतन दोषपूर्ण था। कम्पनी को सीपीआर, खाताधारकों की संख्या, पॉलिसीधारकों की संख्या, बकाया राशि के साथ गैर निष्पादक खाताधारक जैसे घटकों को विचार करने में प्रत्येक बैंक के लिए जोखिम का निर्धारण करने की देयता की रक्षा करने की आवश्यकता थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि वह डब्लूटी कवरों के अन्तर्गत अधिकतम देयता नियतन करने की उपयुक्त कार्यप्रणाली के प्रतिपादन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2012) कि वर्ष 2012-13 के लिए तीन प्राचलों अर्थात् कुल बकाया की एक तिहाई, पूर्व वर्ष में प्रत्याशित अथवा प्राप्त प्रीमियम का 20-30 गुणा, वर्ष 2012-13 के लिए तुलनीय करोबार के साथ बैंकों के लिए अनुमोदित एमएल को हिसाब में लेने के बाद कम्पनी द्वारा एमएल का नियतन किया जा रहा था।

2.2.7 चूककर्ताओं की सूची में क्रेताओं के लिए अग्रिम

एक क्रेता द्वारा भुगतान में चूक होने पर कम्पनी उस क्रेता हेतु संस्वीकृत समग्र सीमा (ओएल) को रद्द करने के अलावा चूककर्ताओं की सूची में क्रेता का नाम डालती है। चूककर्ताओं की सूची उपयुक्त कार्रवाई के लिए क्रेता की वित्तीय शर्त पर अन्य निर्यातकों को सावधान करने हेतु बनायी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि अप्रैल 2008 से जुलाई 2009 के दौरान 18 बैंक शाखाओं ने चार चूककर्ता क्रेताओं के प्रति दस निर्यातकों को ₹ 38.75 करोड़ के 40 पीएस अग्रिम दिया था जिन्हें नवम्बर 2006 से सितम्बर 2007 के दौरान चूककर्ताओं की सूची में पहले डाल दिया गया था। यद्यपि बैंकों को प्रदत्त ईसीआईबी कवर की उचित सचेतना का उल्लंघन हुआ फिर भी कम्पनी ने इन चार क्रेताओं के सम्बन्ध में ₹ 23.40 करोड़ के दावों का भुगतान किया जैसाकि नीचे ब्यौराबद्ध था:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्रेता का नाम	दिए गए अग्रिमों की अवधि	अग्रिम की राशि	चूककर्ताओं की सूची में डालने की तारीख	दावा की राशि
1	क्रिस्टल डिजाइन, हांगकांग	मई 2008-दिसम्बर 2008	9.79	जुलाई 2007	5.70
2	कृष्णा ज्वेल्स, हांगकांग	मई 2008 से अक्टूबर 2008	7.68	नवम्बर 2006	4.21
3	जेम डायम, हांगकांग	जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008	5.87	दिसम्बर 2006	3.69
4	मोहित जेम्स, हांगकांग	अप्रैल 2008 से जुलाई 2009	15.41	सितम्बर 2007	9.80
जोड़			38.75		23.40

चार अन्य क्रेताओं (सीएंड एच डिया ट्रेडिंग, एचके डिया ट्रेडिंग कम्पनी हांगकांग, फोनिक्स इम्पेक्स, हांगकांग, स्टारलाइट डायमंड हांगकांग) जिन्होंने जनवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान ₹ 33.11 करोड़ के 26 पीएस अग्रिमों के पुनर्भुगतान में चूक की और कम्पनी ने दावों के रूप में ₹ 20.73 करोड़ का भुगतान किया, को नवम्बर 2011 तक की चूककर्ताओं की सूची में डाला भी नहीं था।

कम्पनी ने उत्तर में कहा (मार्च 2012) कि ईसीआईबी कवर्स में बीएसएएल²⁶ (चूककर्ता सूची) में उल्लिखित क्रेता द्वारा बैंकों से बिलों में छूट प्राप्त करने की कोई पूर्व शर्त नहीं दी गई थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2012) कि जोखिम कवर निर्यातक की चूक का था न कि विदेशी क्रेता की। मंत्रालय ने आगे कहा कि ईसीजीसी बहुत सख्त प्रतिबन्धों को नहीं थोप सकती थी क्योंकि विभिन्न संस्थाएं प्रतिष्ठा घटने का दावा कर सकती थी जिससे विवाद हो सकते थे, कई बार भारतीय निर्यातकों और क्रेता के नाम उनकी बिना किसी चूक के सूची में नाम शामिल हो गए।

लेखापरीक्षा का मत है कि ईसीआईबी कवर की शर्तों के अनुसार, बैंक निर्यातकों को ऋण प्रदान के समुचित प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध थे और इसलिए उन्हें कम्पनी की चूककर्ता सूची को देखना चाहिए था क्योंकि चूककर्ता की सूची क्रेताओं को लदान के लिए अग्रिमों का भुगतान करना एक बड़ा जोखिम था। यह शंका कि विभिन्न संस्थाएं अपने नुकसान के भुगतान का दावा कर सकती थी निराधार पाई गई, क्योंकि कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति अपने विधिक विभाग के विचार को जानने के बाद, काफी पहले जुलाई 2009 में भविष्य में ऐसे क्रेताओं पर जोखिम से बचने के लिए बैंकों में चूक करने वाले क्रेताओं के नाम की सूची भेजने का निर्णय ले चुकी थी। इसके साथ-साथ, जबकि कम्पनी ने कहा कि सख्त प्रतिबन्धों (जैसे कि बीएसएल की सूची में लगाए गए थे) को थोपा नहीं जा सकता था क्योंकि यह क्रेताओं द्वारा मुकदमेबाजी को बढा सकता था, फिर भी जैम्स और ज्वेलरी क्षेत्र के अन्तर्गत कवरेज के लिए वही शर्त थोपी गई थी। इसलिए, उत्तर परस्पर विरोधी है।

2.2.8 डब्ल्यूटीपीसी स्टॉक में दावों का निपटारा

निर्यातकों के लिए बैंकों द्वारा विस्तारित पीसी को स्टॉकों के बंधीकरण द्वारा प्राथमिक रूप से सुरक्षित कर दिया गया था। कम्पनी पर बैंकों द्वारा डब्ल्यूटीपीसी के लिए निर्यातक द्वारा निर्यात बिलों की छूट का दावा किया गया। हमने पाया कि कम्पनी ने (2008-09 से 2010-11) डब्ल्यूटीपीसी कवर के संबंध में निर्यातक के साथ स्टॉक की उपलब्धता की नवीनतम स्थिति की जाँच किए बिना ₹ 84.21

²⁶ क्रेता विशिष्ट अनुमोदन सूची

करोड़ की राशि के बैंकों के आठ दावों का निपटारा किया। बैंकों ने दावा प्रपत्रों में स्टॉक रिपोर्टों को उल्लिखित किया जो कि दावों के फाइल होने की तिथि से एक से तेरह महीने पुरानी थी, विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निर्यातक का नाम	दावा किया गया	पिछली स्टॉक रिपोर्ट का महीना
1	शीना टैक्सटाईल्स	03.01.2009	12/2007
2	जीवन लाल एंड सन्स	17.09.2007	07/2007
3	सोनल गारमेंट्स (कॉरपोरेशन बैंक)	26.02.2010	06/2009
4	सोनल गारमेंट्स (आईएनजी वैश्य बैंक)	07.01.2010	09/2009
5	जे.बी. डायमंड्स	14.10.2010	06/2010
6	इलाइट इंटरनेशनल (सारस्वत कॉ.ओ.बैंक)	05.09.2008	06/2008
7	इलाइट इंटरनेशनल (एक्सिस बैंक)	19.09.2008	08/2008
8	ललित पोलिस्टर्स	13.12.2010	08/2010

कम्पनी द्वारा नवीनतम स्टॉक रिपोर्ट पर विचार न किए जाने के कारण निर्यातकों द्वारा अनधिकृत निपटान की संभावना को नकारा नहीं जा सका।

इस संबंध में, यह पाया गया कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 यूएम (2) में यह प्रावधान था कि हानि के बारे में सर्वेक्षक की रिपोर्ट के बिना भारत में हुई हानि के संबंध में ₹ 20,000 से अधिक के दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि कम्पनी ने दावों के निपटान के समय डब्ल्यूटीपीसी के अंतर्गत इस अपेक्षा का पालन किया होता तो वह बैंकों द्वारा फाइल किए गए दावा प्रपत्रों में उल्लिखित पुरानी स्टॉक रिपोर्टों पर निर्भर रहने के बजाए निर्यातक के पास स्टॉक की उपलब्धता और उसके मूल्य की नवीनतम जानकारी लेती।

प्रस्थान बैठक के दौरान जब धारा 64 यूएम(2) के अन्तर्गत सर्वेक्षक की नियुक्ति न करने का मुद्दा उठाया गया, तो कम्पनी ने कहा कि यह धारा उन पर लागू नहीं होती थी।

तथापि, मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2012) कि कम्पनी बीमा अधिनियम 1938 के संगत प्रावधानों से बचाव/छूट के लिए जून 2012 में इरडा को लिख चुकी थी क्योंकि बैंकों को उन पर स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी और उसे लागू करना था।

इस तथ्य के मद्देनज़र कि कम्पनी द्वारा इरडा से कोई विशिष्ट छूट प्राप्त नहीं की गई थी, सर्वेक्षक की नियुक्ति के बिना दावों का निपटान सही नहीं था।

2.2.9 स्टाफ जवाबदेही मुद्दे

बैंक अधिकारियों द्वारा किसी चूक और/अथवा त्रुटि के कारण बैंक को हुई किसी हानि को कम्पनी द्वारा दिये गये कवर से बाहर रखा गया। तदनुसार, कम्पनी के दावा प्रस्तुतीकरण के समय, बैंकों द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिया जाना आवश्यक था कि उनके अधिकारियों द्वारा कोई चूक नहीं थी या जांच चल रही थी। बैंकों ने किसी अधिकारी की ईरादतन लापरवाही, असावधानी या अनियमितता की घटना में पूरे दावे की राशि को वापस करने का आश्वासन दिया।

पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपरोक्त मुद्दा उठाया गया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि कम्पनी द्वारा नियमित आंतरिक समेकित सूचना देने के लिए और बकाया राशि का पता लगाने के अतिरिक्त जवाबदेही मुद्दों से संबंधित दावों की जांच के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी, यदि, कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो। मंत्रालय ने भी उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया (जनवरी 2009) और एटीएन (जनवरी 2011) में कहा कि कम्पनी ने उन्हें लागू कर दिया।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान उपरोक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी और यह पाया गया कि कर्मचारी जवाबदेही मुद्दों से संबंधित आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए कार्यान्वित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में आंतरिक जांच यदि कोई चल रही हो, से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रणाली में आंकड़ों का समाकलन करने का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामतः, कम्पनी ने अपने शाखा कार्यालयों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर कुछ मामलों के ही आंकड़े मैनुअली संकलित किए थे। धन मूल्य और उम्र-वार/एजेंसी वार जांच मुद्दों के विश्लेषण जहाँ जांच चल रही थी, से संबंधित आंकड़े कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, मार्च 2011 तक कर्मचारी जवाबदेही मुद्दों से संबंधित 138 मामले लंबित थे। यह देखा गया कि केवल अहमदाबाद शाखा में ही नवम्बर 2011 तक 93 लंबित मामले थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

उम्र-वार विश्लेषण	लम्बित मामलों की संख्या	लम्बित वसूली
1 वर्ष तक	1	4.15
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	17	43.33
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	14	22.41
5 वर्षों से 10 वर्षों तक	60	66.08
10 वर्षों से अधिक	1	1.48
कुल	93	137.45

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 66.08 करोड़ के 60 लम्बित मामले 5 से 10 वर्षों की उम्र के बीच के थे। शाखा ने बैंकों के साथ इन मामलों की आवधिक जाँच से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी को प्रभावशाली निगरानी के लिए प्रणाली में आंकड़ों को प्राप्त करने की कमी का समाधान करने की आवश्यकता थी। कर्मचारी जवाबदेही लम्बित मामलों की भी गहन निगरानी करने की आवश्यकता थी।

कम्पनी ने कहा (मार्च 2012), कि आश्वासन का प्रारूप भारतीय बैंक संघ के परामर्श पर तैयार किया गया था और यदि आवश्यक हुआ तो उस की समीक्षा की जाएगी और उचित संशोधन किया जाएगा।

मंत्रालय ने कम्पनी द्वारा आश्वासन के स्वरूप के पुनरीक्षण से संबंधित उत्तर की पुष्टि करते समय, (जून 2012) आगे कहा कि कम्पनी ने अपनी शाखाओं को मामलों की सख्ती से जाँच करने, आवश्यक सूचना प्राप्त करने और प्रधान कार्यालय को उसकी सूचना देने की सलाह दी थी। आगे यह सूचित किया गया कि कम्पनी एचओ पर एक अलग वसूली सैल स्थापित कर रही थी और कर्मचारी जवाबदेही का अनुसरण उस सैल को सौंपे गये कार्यों का हिस्सा होगा।

2.2.10 निपटाये गये दावों की वसूली

दावों को निपटाने के बाद, कम्पनी की शाखाओं द्वारा बैंकों के साथ वसूली आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी और इस संबंध में शाखा-वार लक्ष्य भी तय किए गए थे। हमने देखा कि लम्बित वसूलियाँ 2008-09 में ₹ 2170 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 2333 करोड़ और आगे 2010-11 में ₹ 2628 हो गई थी। इन वर्षों के दौरान की गई वास्तविक वसूलियाँ भी 2008-09 में

₹ 151.29 करोड़ से गिर कर 2010-11 में ₹ 110.65 करोड़ हो गई थी जो कि अपर्याप्त वसूली प्रयासों की ओर संकेत करती थी। लम्बित वसूलियों के उम्र-वार विवरण का रिकार्ड नहीं था।

उत्तर में कम्पनी ने कहा (मार्च 2012) कि ईसीआईबी में प्रभावित वसूलियों को इस तथ्य के संदर्भ में उचित करार कर दिया गया था कि जहाँ पर ईसीआईबी कवर्स उपलब्ध थे वहाँ पर बैंक वास्तविक प्रतिभूति पर जोर नहीं दे रहे थे। यह भी कहा गया कि बैंकों द्वारा प्राप्त प्रतिभूति सुरक्षा बैंक द्वारा नियातक को संस्वीकृत सभी सुविधाओं के लिए थी न कि केवल ईसीआईबी के अन्तर्गत सुविधाओं के लिए।

मंत्रालय ने कहा (जून 2012), कि कम्पनी शाखाओं के वसूली प्रयासों के समाकलन के लिए एक अलग वसूली सैल स्थापित कर रही थी। आगे कहा गया कि बकाया राशि की वसूली के अनुपात में कमी बहुत पुराने मामलों के लेखनबद्ध न होने के कारण थी और अनुपात को सुधारने के लिए प्रयास किये जाएंगे।